[2019] 3 एस. सी. आर. 1036

म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ

महान मुंबई और ओआरएस।

वी.

रफिकुनिसा एम. खालिफा (डिसेस्ड)

अपने कानूनी स्वामी श्री के माध्यम से। एम. एच. डी. मुकिन कुरैशी और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं। 1727-1732 2019 का)

फरवरी 18,2019

[अभय मनोहर सेप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888:

एस। 312 और 314 (1)-अपीलार्थी द्वारा स्टालों/संरचनाओं को हटाना-नगर निगम को उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती दी गई

रिट याचिका दायर करके-उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-निगम के आदेश को दरकिनार करते हुए याचिका को अनुमति दी और निगम को उसी या आस-पास के क्षेत्र में प्रत्येक प्रतिवादी को उपयुक्त भूमि प्रदान करने का निर्देश देते हुए रिट ऑफ मैंडमस जारी किया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः एस। 312 निगम की अनुमति के बिना किसी भी सड़क, खुले चैनल, नाली, कुएं या टैंक पर किसी भी संरचना के निर्माण को प्रतिबंधित करता है जो किसी भी सड़क में बाधा या अतिक्रमण आदि का कारण बनता है। - एस। 314 (1) सशक्त करता है।

एस में प्रावधान के उल्लंघन में किसी भी संरचना को हटाना। 312 (1) सीमा विस्तार अधिनियम, 1950 और सीमा विस्तार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद-वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों द्वारा निर्मित संरचनाओं को हटाना यू/एस की शक्तियों का उपयोग करने पर था। 314 , क्योंकि संरचना एस में प्रावधानों के उल्लंघन में थी। 312 - मैंडमस यू/आर्ट का एक रिट। 226 संविधान का अनुच्छेद वहाँ जारी किया जाता है जहाँ कोई अधिकार और संबंधित कर्तव्य होता है-वर्तमान मामले में न तो कोई अधिकार (संविदात्मक या कानूनी) था और न ही कोई वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का दायित्व रखने वाला कोई प्रावधान था, इसलिए उच्च न्यायालय को रिट ऑफ मैंडमस जारी करने में उचित नहीं ठहराया गया था।

भारत का संविधान-कला। 226 - लेखन-मैंडमस का लेखन

बॉम्बे म्यूनिसिपल (सीमाओं का विस्तार) अधिनियम, 1950-बॉम्बे म्यूनिसिपल [सीमाओं का आगे विस्तार और अनुसूची बीबीए (संशोधन)] अधिनियम, 1956।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. मुंबई नगर निगम की धारा 312

अधिनियम, 1888 किसी भी संरचना या स्थिरता के निर्माण को प्रतिबंधित करता है।

ऐसी सड़क, नहर, नाला, कुआँ या टंकी का हिस्सा, जैसा भी मामला हो। केवल उन संरचनाओं/संरचनाओं को अधिनियम की धारा 312 से बचाया गया है जो अधिनियम की धारा 310 और 317 के तहत आयुक्त की अनुमति से बनाए गए हैं। [पैरा 18] [1044-बी-सी] 2. धारा 314 (1) आयुक्त को किसी भी दीवार, बाड़, रेल, चौकी, सीढ़ी, बूथ या अन्य संरचना या स्थिरता को हटाने की शक्ति प्रदान करती है जो किसी भी सड़क पर खड़ी या स्थापित पाई जाती है।

उप के प्रावधानों के विपरीत चैनल, नाली, कुआँ या टैंक

अधिनियम की धारा 312 की धारा (1) बॉम्बे नगर निगम (सीमा विस्तार) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के लागू होने के बाद या विस्तारित उपनगरों में लागू होने के बाद आगे

सीमा का विस्तार और अनुसूची बीबीए (संशोधन) अधिनियम, 1956। धारा 314 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए, दो शर्तें मौजूद होनी चाहिए। पहला, विवादित दीवार, बाड़, रेल, चौकी, सीढ़ी, बूथ या किसी अन्य प्रकार की संरचना या फिक्स्चर, जैसा भी मामला हो, किसी सार्वजनिक सड़क या खुले चैनल या नाली या कुएं या टैंक पर खड़ी या स्थापित की जाती है; और दूसरा, ऐसी कोई संरचना या फिक्स्चर, जो भी मामला हो, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दो अधिनियमों के लागू होने के बाद अधिनियम की धारा 312 (1) के प्रावधानों के विपरीत शहर या उपनगरों में खड़ी या स्थापित की जाती है। [पैरा 19] [1044-डी-एफ] 3. जवाबी हलफनामा, नक्शा और विचाराधीन स्थल की तस्वीरें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि दुकान के स्टॉल/संरचनाएँ

उत्तरदाताओं को सीवर लाइन/कक्ष पर खड़ा पाया गया; इन संरचनाओं/स्टालों को उत्तरदाताओं द्वारा धारा 312 के तहत आवश्यक आयुक्त की अनुमति से नहीं बनाया गया था।

(1) अधिनियम का; उत्तरदाताओं द्वारा यह साबित करने के लिए कोई स्वीकृत नक्शा दायर नहीं किया गया था कि संरचनाएं कानूनी थीं; और स्टॉल/संरचनाएं बड़े पैमाने पर जनता के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे थे और सड़क (बांद्रा स्टेशन रोड) पर अतिक्रमण कर रहे थे, जो बहुत संकीर्ण है। इसलिए, अपीलार्थी (आयुक्त) को उनके स्टालों/संरचनाओं को हटाने के लिए प्रत्यर्थियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 314 के तहत शक्तियों का उपयोग करने में उचित ठहराया गया था। चूंकि स्टालों/संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई अधिनियम की धारा 314 के तहत की गई थी, इसलिए [2019] 3 एस. सी. आर. को कोई पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं था।

:

उत्तरदाताओं को हालांकि एक परिपत्र 05.10.2015 पर जारी किया गया था उत्तरदाताओं से अपने स्टालों/संरचनाओं को हटाने का अनुरोध करना

विचाराधीन साइट। [पारस 22 और 23] [1045-बी-डी]

4. स्वास्थ्य लाइसेंस देने का स्टाल/संरचना के निर्माण और उसे हटाने से कोई लेना-देना नहीं है। शक्ति का प्रयोग करने के लिए

सड़क, या खुले चैनल, नाली, कुएं या टैंक पर स्वास्थ्य लाइसेंस के बल पर ऐसे स्टॉल/संरचना में कोई भी गतिविधि करने वाले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के स्टॉल/संरचना को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। [पैरा 26] [1045-जी] 5. इसलिए, उच्च न्यायालय अपीलार्थी (आयुक्त) की कार्रवाई को निरस्त करने के लिए न्यायोचित नहीं था।

उनके स्टालों/संरचनाओं को हटाने के लिए अधिनियम की धारा 314। उच्च न्यायालय ने भी एक आदेश जारी करके अपीलार्थी को निर्देश दिया कि नगर निगम प्रत्येक को प्रदान करे

प्रत्यर्थी उसी क्षेत्र में या आस-पास के क्षेत्र में कुछ उपयुक्त भूमि। [पैरा 27] [1046-बी]

6. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक अनिवार्य रिट जारी की जाती है, जब कोई अधिकार होता है और तदनुसार एक करने के लिए कानूनी कर्तव्य। वर्तमान मामले में, न तो रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अधिकार (संविदात्मक या कानूनी) था और न ही अधिनियम में कोई प्रावधान है जो प्रत्यर्थियों को कोई वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का दायित्व देता है। [पैरा 28] [1046-सी]

7. अपीलार्थियों या राज्य द्वारा इस संबंध में कोई योजना/नीति भी नहीं बनाई गई है, जिसे राज्य द्वारा लागू किया जा सके।

उत्तरदाताओं। इसके अलावा, एक बार जब यह न्यायालय यह मान लेता है कि प्रत्यर्थियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 314 के तहत की गई कार्रवाई कानूनी और उचित है, तो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रकृति के आदेश से बहुत कम किसी भी आदेश को जारी करने का कोई अवसर नहीं है। [पैरा 29] [1046-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 1727 1732 2019 से।

बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.06.2018 से रिट याचिका संख्या। 2639 , 2184 , 2642 , 2641 , 2644 और 2016 का 2746।

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. रफिकुनिसम। खलीफा

श्याम दीवान, अतुल चिताले, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री आशा गोपालन नायर, सुश्री प्रीति पुरंदरे, सुश्री निवेदिता नायर, सुश्री शिवांगी खन्ना,

गुरज्योत सेठी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुनील फर्नांडिस, ओंकार खानविलकर, सुश्री नूपुर कुमार, सुश्री अंजू थॉमस, सुश्री मिलोनी संघवी, सुश्री दीपा M.Kulkarni, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें बॉम्बे में उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और दिनांक 12.06.2018 के आदेश के खिलाफ लिखित रूप में निर्देशित की जाती हैं।

2016 की याचिका (सी) Nos.2639,2184,2642,2641,2644 और 2746 जिसमें उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को मंजूरी दी।

3. इन अपीलों में शामिल संक्षिप्त विवाद की सराहना करने के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. सभी अपीलों में प्रतिवादी संख्या 1 (कुल 6) रिट याचिकाकर्ता थे और इसमें अपीलार्थी (1 से 6) उन छह रिट याचिकाओं में प्रतिवादी थे जिनमें से ये अपीलें आती हैं।

5. छह उत्तरदाताओं ने व्यक्तिगत रूप से ग्रेटर मुंबई नगर निगम (अपीलकर्ता संख्या 1) के खिलाफ छह अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर कीं।

इसमें) और कलेक्टर (प्रतिवादी Nos.2 से 6) सहित उनके अधिकारियों ने अपीलार्थियों के खिलाफ समान, तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों/आधारों पर अपनी व्यक्तिगत रिट याचिकाओं में सामान्य राहत मांगी।

6. छह रिट याचिकाकर्ताओं (सभी अपीलों में प्रतिवादी संख्या 1) के अनुसार, एक बांद्रा स्टेशन रोड पर "यादगर रेस्तरां" के नाम से एक स्टॉल में अपना रेस्तरां चला रहा था। दूसरा रिट याचिकाकर्ता चल रहा था

यादगर रेस्तरां के सामने एक दुकान में "पैन शॉप"। तीसरा रिट याचिकाकर्ता "लकी कबाब कॉर्नर" के नाम से एक खाने की दुकान चला रहा था।

बांद्रा स्टेशन रोड पर। चौथा रिट याचिकाकर्ता बांद्रा स्टेशन रोड पर "दानिश कबाब कॉर्नर" नाम से एक खाने की दुकान चला रहा था। पाँचवाँ रिट याचिकाकर्ता बांद्रा स्टेशन रोड पर "गुलसिक कबाब और मिठाई की दुकान" के नाम से एक खाद्य स्टॉल चला रहा था और छठा रिट याचिकाकर्ता बांद्रा में "ए-1 सीक कबाब" के नाम से एक खाद्य स्टॉल चला रहा था। बांद्रा स्टेशन रोड।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. सभी छह रिट याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ताओं के खिलाफ समान आरोपों पर परमादेशकों से राहत की मांग करते हुए तर्क दिया कि नगर निगम के अधिकारियों ने उनमें से किसी को भी बिना किसी पूर्व सूचना के अवैध रूप से उनके स्टॉल/संरचनाओं को हटा दिया। रिट याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम की ओर से कार्रवाई

निगम और उनके अधिकारी (इसमें अपीलकर्ता) बांद्रा स्टेशन रोड पर स्थित रिट याचिकाकर्ताओं के भोजन/पान के स्टालों को हटाने का कार्य करते समय पूरी तरह से मनमाना, अवैध और मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रासंगिक प्रावधानों के खिलाफ थे।

8. यह आरोप लगाया गया था कि प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता के पास नगर निगम (अपीलकर्ता संख्या 1) द्वारा जारी स्वास्थ्य लाइसेंस था।

विचाराधीन स्थल पर अपने संबंधित स्टॉल चलाना और इसलिए, अपीलकर्ता संख्या 1-नगर निगम उचित नहीं था और न ही अधिनियम के तहत बिना किसी पूर्व सूचना के उनके स्टॉल को हटाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू करने का कोई अधिकार था।

9. यह आरोप लगाया गया था कि संरचनाओं/स्टालों को हटाने की कार्रवाई अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुरूप नहीं थी क्योंकि यह भी

रिट याचिकाकर्ताओं को विचाराधीन स्थल के कब्जे में या वैकल्पिक रूप से उन्हें शहर में कोई अन्य उपयुक्त स्थान प्रदान करने के लिए रखें जहां वे अपना व्यवसाय नए सिरे से शुरू कर सकते हैं और आगे अपीलकर्ताओं को प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता को उनके व्यवसाय के नुकसान और अपीलकर्ता संख्या 1-नगर निगम द्वारा 26.05.2018 पर किए गए आक्षेपित निष्कासन के कारण उन्हें हुई असुविधा के लिए उचित मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दें। 11. अपीलकर्ताओं ने कुछ रिट याचिकाओं में जवाब दाखिल करके रिट याचिकाओं का विरोध किया। अपीलार्थियों ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि वे अधिनियम की धारा 314 के तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर थे क्योंकि ये स्टॉल/संरचनाएं सार्वजनिक सीवर पर खड़ी पाई गई थीं। यह तर्क दिया गया कि चूंकि ये स्टॉल/संरचनाएं सार्वजनिक सीवर लाइनों की सफाई में बाधा डाल रही थीं और बिना किसी स्वीकृत योजना के खड़ी की गई थीं, इसलिए उन्हें जनहित में हटाया जाना था। यह भी तर्क दिया गया कि ये स्टॉल/संरचनाएं भी महान मुंबई बनाम के यातायात नगरपालिका निगम का कारण बन रही थीं।

रफिकुनिसा एम. खालिफा [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

12. विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी (नगर निगम) सक्षम नहीं था साबित करें कि विचाराधीन मामला अधिनियम की धारा 314 के तहत आता है। द.

इसलिए, उच्च न्यायालय ने नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया और अपीलार्थियों के खिलाफ अनिवार्य प्रकृति के 9 निर्देश जारी किए। ये 9 निर्देश इस प्रकार हैं:

((i)

याचिकाकर्ताओं के उसी आकार के स्टालों/दुकानों को, जिन्हें 26 मई, 2016 को उसी इलाके या आस-पास के इलाके में ध्वस्त कर दिया गया था; इलाका ऐसा होगा कि याचिकाकर्ता उसी व्यवसाय को करने की स्थिति में हों जो वे कर रहे थे।

ध्वस्त संरचनाओं में ले जाना;

((iii) याचिकाकर्ताओं को आवंटन इस प्रकार किया जाएगा -

जितनी जल्दी हो सके और किसी भी स्थिति में, उस तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर जिस दिन यह

निर्णय और आदेश अपलोड किया जाता है;

((iv) याचिकाकर्ता उस शुल्क/शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो ध्वस्त किए जाने के संबंध में देय था।

संरचनाएँ;

(v) नगर निगम के निर्माण में विफलता पर

इस निर्णय और आदेश को अपलोड करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार स्टालों/दुकानों का आवंटन करना, याचिकाकर्ताओं के लिए अपनी संरचनाओं/स्टालों का फिर से निर्माण करने के लिए खुला रहेगा। वे स्थान जहाँ वे स्थित थे;

(vi) हालांकि, पुनर्निर्माण उसी निर्माण सामग्री का उपयोग करके किया जाएगा और वह भी कम से कम 48 घंटे की अग्रिम सूचना के साथ।

संबंधित वार्ड का अधिकारी जो या उसका नामित व्यक्ति उस समय उपस्थित रहने का हकदार होगा।

(vii) हम यह स्पष्ट करते हैं कि पुनर्निर्मित दुकानों के संबंध में, याचिकाकर्ता किसी भी इक्विटी का दावा करने के हकदार नहीं होंगे। यदि मूल स्टॉल जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था

यदि अवैध थे, तो नगर निगम के लिए विध्वंस की कार्रवाई शुरू करना हमेशा खुला रहेगा।
कानून के अनुसार फिर से निर्मित स्टॉल;

(viii) जहां तक मुआवजे की प्रार्थना का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के लिए यह हमेशा खुला रहेगा कि वे

नगरपालिका को उचित प्रतिनिधित्व
निगम सभी विवरणों के साथ और

दस्तावेज़। यदि इस तरह के अभ्यावेदन किए जाते हैं, तो नगर निगम इसे दाखिल करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा।

प्रतिनिधित्व;

(ix) याचिकाओं को उपरोक्त शर्तों में निरपेक्ष बनाया गया है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं "।

13. नगर निगम ने विवादित आदेश से व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।

14. इसलिए, इन अपीलों में विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय को अनुमति देने में उचित था

उत्तरदाताओं की रिट याचिकाएँ और ऊपर उद्धृत 9 निर्देश जारी करना।

15. श्री श्याम दीवान और श्री अतुल चिताले, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री सुनील फर्नांडीस और सुश्री दीपा एम।

कुलकर्णी, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील।

16. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपीलों को अनुमति देने, विवादित आदेश को दरकिनार करने और रिट याचिकाओं को खारिज करने के लिए इच्छुक हैं।

17. अधिनियम की धारा 312 और 314, जो निपटान के लिए प्रासंगिक हैं

इन अपीलों में से, नीचे पढ़ा गया हैः

" 312. संरचनाओं या संरचनाओं का निषेध जो कारण बनते हैं सड़कों पर अवरोध।

(1) कोई भी व्यक्ति, की अनुमति के अलावा

धारा 310 या 317 के तहत आयुक्त, खड़ा या स्थापित

महान मुंबई का कोई दीवार, बाड़, रेल, चौकी, सीढ़ी, बूथ या अन्य संरचना या नगरपालिका निगम v.

रफिकुनिसा एम. खलीफा [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

किसी भी सड़क में या उस पर या किसी भी सड़क में किसी भी खुले चैनल, नाली, कुएं या टैंक पर या उसके ऊपर स्थिरता ताकि एक बाधा, या अतिक्रमण, या एक प्रक्षेपण बन सके। ऐसी सड़क, नहर, नाली, कुएँ या टंकी के किसी भी हिस्से पर कब्जा करना।

या 313 ए। आयुक्त बिना किसी सूचना के हटाने का कारण बन सकता है।

((क) कोई दीवार, बाड़, रेल, चौकी, सीढ़ी, बूथ या अन्य संरचना या स्थिरता जो किसी भी क्षेत्र में या उस पर खड़ी या स्थापित की जाएगी। धारा 312 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के विपरीत सड़क, या किसी खुले चैनल, नाली, कुएं या टैंक पर या उसके ऊपर, शहर में या उपनगरों में, बॉम्बे नगर निगम (सीमा विस्तार) अधिनियम, 1950 के लागू होने की तारीख के बाद या

(ख) कोई भी स्टाल, कुर्सी, बेंच, बॉक्स, सीढ़ी, गांठ, बोर्ड या शेल्फ, या कोई अन्य चीज जो भी रखी गई हो, जमा की गई हो, प्रक्षेपित की गई हो, धारा 313 की उप-धारा (1) के उल्लंघन में किसी भी स्थान पर संलग्न या निलंबित;

(ग) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी सार्वजनिक सड़क पर बिक्री के लिए रखी गई या प्रदर्शित की गई कोई भी वस्तु,

धारा 313 क के प्रावधान और कोई वाहन, पैकेज, बॉक्स, बोर्ड, शेल्फ या कोई अन्य चीज जिसमें या जिस पर ऐसी वस्तु को बिक्री के उद्देश्य से रखा या रखा गया है।

(घ) कोई भी व्यक्ति, अनधिकृत रूप से कब्जा कर रहा है या गलत तरीके से

ऐसी भूमि से किसी भी सार्वजनिक भूमि का कब्जा, ऐसी भूमि पर अनधिकृत रूप से रखी गई, पेश की गई या जमा की गई सभी चीजों और सामग्री के साथ, ऐसे व्यक्ति [2019] 3 एस. सी. आर.

बशर्ते कि आयुक्त निष्पादन करते समय

इस तरह के निष्कासन, ऐसे व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत सामान और घरेलू सामान, जैसे खाना पकाने के बर्तन, परिवार के बिस्तर और बिस्तर, आदि को ले जाने की अनुमति दें।

18. अधिनियम की धारा 312 किसी भी प्रकृति की किसी भी संरचना या स्थिरता जैसे कि किसी भी सड़क पर या किसी भी खुले चैनल, नाली, कुएं या टैंक पर दीवार, बाड़, रेल, पोस्ट, सीढ़ी, बूथ के निर्माण को प्रतिबंधित करती है जो किसी भी सड़क में बाधा या अतिक्रमण या प्रक्षेपण का कारण बनती है या कब्जा कर लेती है।

ऐसी सड़क, नहर, नाला, कुआँ या टंकी का हिस्सा, जैसा भी मामला हो। केवल उन संरचनाओं/संरचनाओं को अधिनियम की धारा 312 से बचाया गया है जो आयुक्त की अनुमति से बनाए गए हैं।

अधिनियम की धारा 310 और 317 के तहत। दूसरे शब्दों में, धारा 312 उन संरचनाओं/संरचनाओं पर लागू नहीं होती है जो अधिनियम की धारा 310 और 317 के तहत आयुक्त की अनुमति से व्यक्ति द्वारा बनाई गई हैं।

19. धारा 314 (1), जिससे हम इस मामले में संबंधित हैं, आयुक्त को किसी भी दीवार, बाड़, रेल को हटाने की शक्ति प्रदान करती है।

बॉम्बे म्यूनिसिपल (सीमा विस्तार) अधिनियम, 1950 के प्रावधान लागू होने के बाद या सीमा का और विस्तार और अनुसूची बीबीए (संशोधन) अधिनियम, 1956 लागू होने के बाद विस्तारित उपनगरों में अधिनियम की धारा 312 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के विपरीत किसी भी सड़क, खुले चैनल, नाली, कुएं या टैंक पर पोस्ट, सीढ़ी, बूथ या अन्य संरचना या फिक्स्चर खड़ा या स्थापित पाया जाता है।

चैनल या नाली या कुआँ या टैंक; और दूसरा, ऐसी कोई भी संरचना या स्थिरता, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 312 (1) के प्रावधानों के विपरीत शहर या उपनगरों में स्थापित या स्थापित की जाती है। उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दो अधिनियमों को लागू करना।

21. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलकर्ताओं ने इन अपीलों में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दायर किए हैं

जैसे कि उनके मामले के समर्थन में मानचित्र और विचाराधीन स्थल की तस्वीरें। ये दस्तावेज उच्च न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किए गए थे जैसा कि विवादित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है।

ये दस्तावेज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई बनाम थे। रफिकुनिसा एम. खालिफा [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

इन अपीलों में शामिल मुद्दे को तय करने के लिए प्रासंगिक और सामग्री होने के कारण इसे रिकॉर्ड में लेने की अनुमति दी गई है। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने इन दस्तावेजों की सत्यता पर विवाद नहीं किया और इसलिए, ये दस्तावेज निर्विवाद बने रहे।

22. जवाबी हलफनामे, नक्शे और उनकी तस्वीरों का अवलोकन

विचाराधीन स्थल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि, पहला, उत्तरदाताओं के स्टॉल/संरचनाएं सीवर लाइन/कक्ष पर खड़ी पाई गईं; दूसरा, इन संरचनाओं/स्टॉलों को अधिनियम की धारा 312 (1) के तहत आवश्यक आयुक्त की अनुमति से उत्तरदाताओं द्वारा खड़ा नहीं किया गया था; तीसरा, उत्तरदाताओं द्वारा यह साबित करने के लिए कोई स्वीकृत नक्शा दायर नहीं किया गया था कि संरचनाएं कानूनी थीं; और चौथा, स्टॉल/संरचनाएं बड़े पैमाने पर जनता के लिए बाधा पैदा कर रही थीं और सड़क (बांद्रा स्टेशन रोड) पर अतिक्रमण कर रही थीं, जो बहुत संकीर्ण है।

23. उपरोक्त चार कारकों के मौजूद होने के आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी (आयुक्त) को अधिनियम की धारा 314 के तहत शक्तियों का उपयोग करने के लिए उचित ठहराया गया था।

अपने स्टालों/संरचनाओं को हटाने के लिए 26.05.2018 पर उत्तरदाता। चूंकि स्टालों/संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई अधिनियम की धारा 314 के तहत की गई थी, इसलिए उत्तरदाताओं को कोई पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि 05.10.2015 पर एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें उत्तरदाताओं से अनुरोध किया गया था कि वे संबंधित स्थल से अपने स्टालों/संरचनाओं को हटा दें।

24. इसलिए हम आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई में कोई अवैधता या मनमानेपन या अनुचितता नहीं पा सकते हैं। अधिनियम की धारा 314, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं को हटा दिया गया '

25. हालाँकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि उत्तरदाताओं को अधिनियम के तहत स्वास्थ्य लाइसेंस दिए गए थे इन स्टालों/संरचनाओं में अपने खाद्य पदार्थों को बेचना, विचाराधीन स्थल से उन्हें हटाना अवैध था।

26. हम इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। हमारी राय में, स्वास्थ्य लाइसेंस देने का स्टाल/संरचना के निर्माण से कोई लेना-देना नहीं है।

निकालना। अधिनियम की धारा 314 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए, उसमें निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। धारा 314 में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क, या खुले चैनल, नाली, कुएं या टैंक पर स्वास्थ्य लाइसेंस के बल पर ऐसे स्टॉल/संरचना में कोई गतिविधि कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसे स्टॉल/संरचना को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। धारा 314 के तहत कार्रवाई पर सफलतापूर्वक हमला किया जा सकता है [2019] 3 एस. सी. आर.

केवल यह दिखाकर कि व्यक्ति ने अपनी दुकान/संरचना खड़ी की थी

अधिनियम की धारा 312 (1) के तहत दी गई आयुक्त की अनुमति। हालाँकि, यहाँ ऐसा नहीं है।

27. इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय अपीलार्थी (आयुक्त) की कार्रवाई को निरस्त करने के लिए उचित नहीं था।

26.05.2018 पर उनके स्टालों/संरचनाओं को हटाने के लिए अधिनियम की धारा 314। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-नगर निगम को प्रत्येक प्रतिवादी को उसी क्षेत्र या आस-पास के क्षेत्र में कुछ उपयुक्त भूमि प्रदान करने का निर्देश देते हुए एक आदेश जारी करना भी उचित नहीं था। 28. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक अनिवार्य रिट जारी की जाती है, जब कोई अधिकार होता है और

तदनुसार प्रदर्शन करने के लिए एक कानूनी कर्तव्य है। इस मामले में, न तो रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अधिकार (संविदात्मक या कानूनी) था और न ही अधिनियम में कोई प्रावधान है जो प्रत्यर्थियों को कोई वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का दायित्व देता है।

29. हम अपीलार्थियों या राज्य द्वारा इस संबंध में बनाई गई कोई योजना/नीति भी नहीं पाते हैं, जिसे उत्तरदाताओं द्वारा लागू किया जा सके। इसके अलावा, एक बार जब यह न्यायालय यह मान लेता है कि प्रत्यर्थियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 314 के तहत की गई कार्रवाई कानूनी और उचित है, तो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रकृति के आदेश से बहुत कम किसी भी आदेश को जारी करने का कोई अवसर नहीं है।

30. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती हैं और तदनुसार अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। ए के रूप में परिणामस्वरूप, जिन रिट याचिकाओं से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं, वे हैं -

बर्खास्त कर दिया।

अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी